



महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार  
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना  
महिलाओं को निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण



प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

| विकल्प | आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं. | आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1.     | .....                           | .....                       |
| 2.     | .....                           | .....                       |

प्रशिक्षणार्थी का नाम: प्रथम नाम..... मध्यम नाम..... अन्तिम नाम.....

पिता का नाम:.....माता का नाम:.....

जन्म तिथि : (दिन/महिना/वर्ष) :.....

वैवाहिक स्थिति: अविवाहित विवाहित

तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता

मोबाइल नंबर:..... ई-मेल आई.डी.:.....

आधार कार्ड नम्बर..... जनाधार कार्ड नं.....

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्ला:..... शहर/कस्बा/गाँव:.....

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....

तहसील :.....जिला:.....पिन कोड:.....

आवेदक की श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डालें)

सामान्य

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति: जनजाति उपयोगना (टीएसपी) : तहसील:..... जिला:.....  
गैर-जनजाति उपयोगना (नॉन-टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)

सहरिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :..... धर्म :  हिन्दू मुस्लिम  सिक्ख  इसाई  जैन  पारसी अन्य

महिला श्रेणी :  विधवा  परित्यक्ता/तलाकशुदा  हिंसा से पीडित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

| योग्यता                            | बोर्ड/यूनिवर्सिटी | प्रतिशत | पास करने का महिना एवं वर्ष |
|------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|
| 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका |                   |         |                            |
| स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका       |                   |         |                            |

• शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी एवं अन्य अनिवार्य प्रमाण पत्र—

- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका तथा कक्षा 12 वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, इसके साक्ष्य में कक्षा 12 वीं का प्रमाण-पत्र।
- स्नातक उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्नातक की अंक तालिका।
- हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआईआर की प्रति/धरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र/अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।

घोषणा :-